छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर छ.ग.
दूरभाष ☏ : 0771– 4918920

क्र./रेरा/लेखा/2018/

रायपुर, दिनांक 03/03/2018

विज्ञप्ति

रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स व एजेन्ट्स रजिस्ट्रेशन हेतु रेरा ने घोषित की समय सीमा

रियल एस्टेट सेक्टर का रेगुलेशन कर इस सेक्टर में पारदर्शिता व दक्षता लाने तथा उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण का गठन किया गया है। अपने गठन के उपरांत अल्पावधि में ही छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण ने अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन प्रारंभ करते हुए प्रोजेक्ट्स एवं एजेंट्स रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया है। प्राधिकरण को अब तक प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हेतु 03 एवं एजेंट रजिस्ट्रेशन हेतु 06 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका परीक्षण कर प्राधिकरण द्वारा पंजीयन क्रमांक जारी किया जा चुका है।

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) के अनुसार प्रत्येक प्रमोटर को, चालू व नवीन प्रोजेक्ट्स का रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है । इसी तरह उक्त अधिनियम की धारा 9 अंतर्गत प्रत्येक रियल एस्टेट एजेन्ट को भी रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है ।

अतः भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 25 व धारा 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा, चालू व नवीन प्रोजेक्ट्स तथा रियल एस्टेट एजेन्ट्स के रजिस्ट्रेशन हेतु, प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 31 मई 2018 तक की समय–सीमा निर्धारित की गई है ।

उक्त नियत समय–सीमा के भीतर प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत न करने की दशा में संबंधितों पर, भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 59 और धारा 62 के प्रावधान आकर्षित होंगे।

03/03/18

रजिस्ट्रार
भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

Scanned by CamScanner